(5)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या --53/2019 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय– 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज0) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री सुरेन्द्र राठोर, निवासी फलेट नं0 ए–6' 203 (ब्लॉक–ए–6) महालक्ष्मी एन्क्लेव बारां रोड सिंधानिया स्कूल के पास कोटा (राज0) 324001

एवं

निवासी–428 खोटिया के मन्दिर के पास, कोटरी,गोरधनपुरा, रोजहाला, कोटा (राज0) 324007

एवं

कार्यालय पता– निधि भवन रोड, विज्ञान विहार, पुराने पुलिस स्टेशन के पास कोटा (राज0) 234005

– (ऋणी/बंधककर्ता)

2. श्रीमती शकुन्तला एस, निवासी फलेट नं0 ए–6' 203 (ब्लॉक–ए–6) महालक्ष्मी एन्क्लेव बारां रोड सिंधानिया स्कूल के पास कोटा (राज0) 324001

एवं

निवासी–428 खोटिया के मन्दिर के पास, कोटरी,गोरधनपुरा, रोजहाला, कोटा (राज0) 324007

––(सहऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14.05.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज0) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव है।

अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से जर्ये ऋण करार संख्या 00002955 दिनांक 25.07.2017 को 25,58,417/– (अक्षरेः रूपये पच्चीस लाख अठावन हजार चार सौ सत्तरह मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी नं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रीशुदा फलेट सं0 ए–6–203 ' ब्लाक–ए" द्वितीय तल, (बिना छत के अधिकार के) पैमाइशी 1414 वर्गफुट वाके न्यू " महालक्ष्मी एनक्लेव" ग्रुप हाउसिंह योजना बारां रोड ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा (राज0) गे स्थित है जो अप्रार्थी सुरेन्द्र राठौर पुत्र बजरंगलाल के नाम है को प्रार्थी**

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 29,62,039/– रूपये (अक्षरे रूपये उन्तीस लाख, बांसठ हजार, उन्चालिस मात्र) बकाया रकम दिनांक 24.09.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया** गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया गया** इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक लोकमत में दिनांक 01.11.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.11.2018 को प्रकाशन भी कराया गया** इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है **अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रीशुदा फलेट सं0 ए–6–203 ' ब्लाक–ए" द्वितीय तल, (बिना छत के अधिकार के) पैमाइशी 1414 वर्गफुट वाके न्यू " महालक्ष्मी एनक्लेव" ग्रुप हाउसिंह योजना बारां रोड ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा (राज0) मे स्थित है जो अप्रार्थी सुरेन्द्र राठौर पुत्र बजरंगलाल के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner